

संयुक्त धर्म उपक्रम

घोषणा-पत्र

संयुक्त धर्म-उपक्रम

## प्रस्तावना (आमुख)

1. विभिन्न धर्मों, विचारधाराओं और रीति-रिवाजों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आचरण करने वाले हम सब, सार्वजनिक एकता, पारस्परिक श्रद्धा को उजागर करने वाले समन्वित धर्म का केवल अनुसरण ही न करें अपितु धर्म के नाम पर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों का भी निवारण कर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिससे इस धरती पर सुख, शान्ति और साम्प्रदायिक एकता की स्थापना हो।
2. प्रत्येक धर्म के अपने रीति-रिवाज, आचार-विचार और सिद्धान्त होते हैं, जो जाति और प्रान्त के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। हम इनका आदर करते हैं।
3. जो लोग दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं वे स्वयं आदर के पात्र हैं। हमारा विश्वास है कि पारस्परिक एकता और विचारों के आदान-प्रदान से नैतिकता और लोक कल्याण की स्थापना होती है।
4. हमारे धर्म और धार्मिक आचरण जो अपने आप में, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं, हमें जाति और सम्प्रदाय के नाम पर, एक दूसरे से अलग करने के लिए नहीं, अपितु हमें एक सूत्र में बंधने और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं।
5. मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में आश्रित है। इसलिए एकता और भाईचारे द्वारा ही हम पृथ्वी पर एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं।
6. हमें एक होकर, शान्तिमय और न्यायपूर्ण समाज की रचना करनी है।
7. संगठित होकर ही हम धरती मां की रक्षा कर सकते हैं।
8. हमें एक होकर सुरक्षित समाज का निर्माण करना है, जहाँ वाद-विवाद अथवा किसी भी प्रकार के भेद-भाव का शान्त रूप से समाधान हो सके।
9. हमें एक होकर धार्मिक स्वतन्त्रता और आध्यात्मिक प्रकटीकरण एंव मानवीय-अधिकारों का संगठन करना है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत है।
10. हमें सामूहिक रूप से विभिन्न धर्मों और जातियों की विचारधाराओं एंव रीति-रिवाजों, आध्यात्मिक प्रयासों का, समाज के नैतिक, आर्थिक, पर्यावरणिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों से समन्वय स्थापित करना है।
11. हमें इस उद्देश्य के लिए एक होकर, विश्व भर में सर्वजन-सहभागिता को स्थापित करना है; विशेष रूप से उन पिछड़ी जातियों के लोगों को आगे लाना है, जिनकी आवाज़ आज तक दबी रही है।
12. हमें एक होकर, प्रभु की असीम कृपा और प्रकाश का गुणगान करना है, जो कि स्थिर और चलायमान है।
13. हमें एक होकर अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग, अहिंसा, सहानुभूति और सत्य को उजागर करने में करना है। प्रेम और न्याय की भावना को प्रत्येक प्राणी में विकसित करना है।

## सिद्धान्त (मूलतत्व)

1. हम विभिन्न धर्मों के बीच सेतु-निर्माण हेतु संगठन हैं न कि कोई निर्माण संस्था ।
2. हम प्रत्येक धर्म के नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और रीति-रिवाजों का आदर करते हैं ।
3. हम, विभिन्न धर्मों के रीति-रिवाजों एवं विचारधाराओं में जो अन्तर है उसका आदर करते हैं ।
4. हम अपने सभी सदस्यों को, अपने धर्म में लीन होने और उसके आचरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।
5. हम आपसी प्रेम और भाईचारे को विकसित करने के लिए, प्रत्येक विचारधारा का आदर करते हैं ।
6. हम आतिथ्य के आदान-प्रदान में विश्वास रखते हैं ।
7. हम इस समाज में विविधता का आदर करते हैं और ऐसी सभी राजनीतिक नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं जो साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद का खण्डन करती हैं ।
8. हम पुरुष और स्त्री, दोनों को समान रूप से सहभागिता का इस संस्थान में आचरण करते हैं ।
9. हम विवादों एवं समस्याओं का शान्तिमय ढंग से एवं अहिंसा द्वारा समाधान करते हैं ।
10. हम पर्यावरणिक एवं सामयिक अभ्यासों द्वारा अपनी धरती को अपने लिए और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं ।
11. हम अपनी जैसी अन्य संस्थाओं से सहयोग लेने और देने की अपेक्षा करते हैं ।
12. हम उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों का स्वागत करते हैं, जो हमारा सदस्य बनने की इच्छा करते हैं ।
13. हम स्थानीय स्तर पर समझौता कराने एवं निर्णय लेने में सक्षम हैं। यह क्षमता सम्बन्धित एवं सम्मिलित दलों पर लागू होती है ।
14. हम किसी भी प्रकार से, किसी भी मात्रा में, किसी भी जगह पर, किसी भी विषय अथवा कार्य में, जो हमारी प्रस्तावना में बताए गए विषयों एवं उद्देश्यों से सम्बन्धित हैं, निर्णय लेने की क्षमता एवं अधिकार रखते हैं ।
15. हर स्तर पर हमारे विचार-विमर्श एवं निर्णय, ऐसी संस्थाओं द्वारा लिए जाएंगे जो कि न्यायपूर्ण और स्वतन्त्र रूप से सम्बन्धित दलों की समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे और किसी भी दबाव या प्रभाव में नहीं आएंगे ।
16. हमारे संस्थान का हर हिस्सा केवल उन्हीं साधनों एवं स्वतन्त्रताओं का त्याग करेगा जो कि (यू.आर.आई.) के उद्देश्यों एवं मूल तत्वों के अनुरूप होगा ।
17. अपने कार्यों की पूर्ति के लिए, हमारी संस्था का हर विभाग उत्तरदायी है । वह आर्थिक एवं अन्य साधनों का प्रयोग स्वयं के लिए तो करे ही और साथ ही अन्य अंशों के साथ उन्हें बांटे और एक दूसरे की मदद करे ।
18. हम सर्वोच्च स्तर की नैतिकता कायम रखते हुए समझदारी से सभी साधनों का उपयोग एवं न्यायपूर्ण और सभी सूचनाओं का सत्य प्रकट करते हैं ।
19. हम संस्था के ज्ञान और अनुकूलन के लिए सदैव तत्पर हैं ।
20. हम सभी भाषाओं की विपुलता एवं विविधता का आदर करते हैं । सभी सदस्यों का अधिकार एवं उत्तरदायित्व है कि वे यू.आर.आई. के घोषणापत्र, नियम एवं सभी सम्बन्धित दस्तावेजों का अपनी भाषा में अनुवाद, इस संस्था की प्रस्तावना, उद्देश्य एवं मूलतत्वों का अनुसरण करें ।
21. यू.आर.आई. के सदस्यों को हठात् किसी भी रीति-रिवाज़, धर्मप्रचार अथवा धर्मपरिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

'संयुक्त धर्म उपक्रम' (यू.आर.आई.) एक विकासशील सार्वभौमिक संगठन है जो दैनिक अन्तर्विश्वास पर आधारित है। धर्म द्वारा प्रेरित हिंसा को समाप्त करना और पृथ्वी पर न्याय का सृजन करके समस्त जीवों एंव भूमंडल की समस्याओं का समाधान है।

महाद्वीपों एंव उनके पार के विभिन्न धर्मों, आध्यात्मिक विचारों और देशीय परंपराओं के लोग, सार्वभौमिक सहयोग के अभूतपूर्व स्तर स्थापित कर रहे हैं। आज इसके आरम्भ पर लोगों की आशाएँ श्रेष्ठ संसार की परिकल्पना के प्रति सजग हैं। यह वह विश्व है जहाँ के लोग पारस्परिक भावनाओं (विश्वासों) का सम्मान करते हैं। जहाँ मूल्य, विद्वत्तापूर्ण पारस्परिक शिक्षाएँ लोगों की सेवाओं को देती हैं। जहाँ इकट्ठे कार्यरत जनसाधारण की साधन-सम्पन्नता, मनोभाव, सार्वभौमिक समाज को समाधान और आशावादी भविष्य की ओर ले जाती हैं। (URI) 'संयुक्त धर्म उपक्रम' संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना की महत्वाकांक्षा रखती है।

जून 1996 से हजारों लोगों ने अपने दृष्टिकोण, विचारों का विनिमय किया और मिलजुल कर URI का सूत्रपात किया। यह मूलरूप से सार्वभौमिक हित को ध्यान में रखकर पारस्परिक आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित नये प्रकार की संस्था है। विभिन्न संस्कृतियों और परिप्रेक्ष्य से जुड़े लोगों ने एक ऐसी संस्था का सूत्रपात किया जो सम्मिलित और विकेन्द्रित हैं, जो सहयोग, व्यक्तिगत अवसर और स्वायत्तता को प्रोत्साहन देती है। विविध संस्कृतियों से जुड़े लोगों द्वारा प्रस्तुत इस पारस्परिक सृजन कार्य ने एक स्वयंसेवी समुदाय वाली एक असामान्य संस्था को जन्म दिया है, जो स्थानीय रूप से कार्यरत है और समस्त भूमंडल से जुड़ी है।

संयुक्त धर्म उपक्रम (URI) संसार के हर कोने के लोगों की आवाज़ है। इसके आवश्यक मूल्य, उत्साह और दृष्टिकोण, प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों में स्पष्ट किए गए हैं। समग्र रूप से वे, URI की गतिविधियों को प्रेरणा, दिशानिर्देश और ठोस धरातल देते हैं।

घोषणा-पत्र में शामिल हैं-

**प्रस्तावना** - एक ऐसा स्वर जो हमें अब URI का सूत्रपात करने एंव सदा करते रहने की प्रेरणा देता है।

**प्रयोजन** - सामान्य उद्देश्य के लिए एक मंच पर लाना है।

**सिद्धान्त** - मूलभूत विश्वास जो हमारे ढांचे, निर्णय और विषयों को दिशा निर्देश देते हैं।

**संगठन परिकल्पना** - संगठन प्रक्रिया जो सहयोग को बढ़ाकर उत्साह को नया आयाम देती है।

**कार्य करने का दिशानिर्देश** - विश्वभर की संस्था URI को प्रेरणा और दिशा देने के कार्य की रूप-रेखा।

सार्वभौमिक संयुक्त धर्म उपक्रम (URI) संस्था, जून 2000 में स्थापित हो जाएगी। आप सब URI के उद्गम और विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। इस असाधारण शक्ति का हिस्सा बनकर संसार का हित करें। यह उपक्रम इस सृजन में भाग लेने का निमंत्रण है।

स्वागत है।

**संगठन की रूपरेखा** - URI एक ऐसा संगठन है जहाँ लोग अपने हार्दिक गहन मूल्यों के आधार पर कार्य करते हैं और अपने अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, ताकि आन्तरिक विश्वास पर आधारित सहयोग के लिए स्थानीय और सार्वभौमिक स्तर पर असाधारण कार्य कर सकें। संयुक्त धर्म उपक्रम (URI) ऐसा जनसमुदाय है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न कार्य करता है।

URI के सदस्य, संस्थाएं और संगठन, सहयोग केन्द्र का सूत्रपात करेंगे अथवा विद्यमान सहयोग केन्द्र के सहभागी बनेंगे।

जनसमुदाय सहयोग केन्द्र कहलाते हैं क्योंकि ये उन लोगों द्वारा निर्मित हैं जो अन्तर्विश्वास व सहयोग को कार्यरूप देने के लिए संगठित हैं। हर URI केन्द्र, अपना असाधारण उद्देश्य, सदस्यता, प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों से संगत, निर्णय करने के प्रकार, निश्चित करता है।

यदि सहयोग केन्द्र अपने प्रयासों को अन्य सहयोग केन्द्रों से समन्वित करना चाहता है तब वह बहुविध सहयोग केन्द्र की स्थापना का निर्णय ले सकता है। यदि एक या अधिक बहुविध सहयोग केन्द्र अपने प्रयासों को समन्वित करना चाहते हैं तब वे बहुविध सहयोग बना सकते हैं।

आरम्भिक स्थिरता और अन्तर्निष्ठ विविधता के लिए सहयोग केन्द्र के कम से कम सात सदस्य हों, जो कम से कम तीन विभिन्न धर्मों, आध्यात्मिक विचारों और देशीय परंपराओं से सम्बन्धित हों।

## सदस्यों के अधिकार

**प्रत्येक URI के पास अधिकार हैं-**

- किसी भी ढांग से किसी भी गतिविधि या विचारवस्तु के इर्द-गिर्द कार्य करना, जो प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों के अनुरूप और सुसंगत हों।
- संचालन और निर्णय की अपनी प्रणाली को निश्चित करना, जो प्रस्तावना उद्देश्य और सिद्धान्तों के अनुरूप हो।
- अन्य URI केन्द्रों को सम्बद्ध करने अथवा उनमें सम्मिलित होने का निश्चय करना।
- विश्वासनीय ट्रस्ट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेना-सार्वभौमिक परिषद् के सेवा हेतु।
- URI की ओर से, सदस्यता के लिए, सदस्यों, संस्थाओं, समितियों के प्रार्थना पत्रों पर पुनर्विचार और स्वीकृति, जो इस उद्देश्य के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं।

## सदस्यों की ज़िम्मेदारी

- संयुक्त धर्म उपक्रम (URI) का प्रत्येक सदस्य, प्रस्तावना, उद्देश्य, और सिद्धान्तों पर अमल करने के लिए, इन के अनुरूप संचालन और निर्णय-प्रणाली को निश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है।
- अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर सुनिश्चित करना कि वे, प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करें।
- सिद्धान्तों के अनुरूप चलने के उद्देश्य को पूरा करने के अपने प्रयासों को सक्रियरूप देना।
- URI के जीवन को विकसित करने वाले नियमों और कार्यप्रणाली के अनुसार कार्य करना।
- URI के अन्य भागों के साथ श्रेष्ठ अभ्यास-प्रक्रियाओं, कहानियों एवं विशिष्टताओं को उद्घोषित करना।

- अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक-संसाधनों की आपूर्ति करना।
- अन्य केन्द्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता के लिए आर्थिक एवं अन्य संसाधनों में सहभागी बनना।
- सार्वभौमिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित कोई शुल्क देना अथवा उपयुक्त योगदान को प्रस्तावित करना।
- अपने सदस्यों का सही एवं वर्तमान लेखा-जोखा, उनके आर्थिक लेन-देन और गतिविधियों का लेखा-जोखा रखना।
- ट्रस्ट के सदस्यों, संयुक्त धर्म उपक्रम और उसके कर्मचारी एवं प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से हानिरहित, सुरक्षित एवं नियन्त्रण में रखना है जो कि URI के केन्द्र की व्यवस्था के उपनियमों और अनुच्छेद के उल्लंघन अथवा कार्यविधि के कारण उत्पन्न हुआ हो।

### **सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्र**

व्यक्ति, समितियां अथवा संस्थाएं अपना सहयोग केन्द्र बनाकर, सदस्यता के लिए सीधे, सार्वभौमिक अथवा वर्तमान MMCC को प्रार्थना-पत्र भेज दें।

व्यक्ति समितियाँ और संस्थाएँ जो कि URI की प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों का मूल्यांकन और समर्थन करती हैं, उनसे सम्बद्ध हो सकती हैं। सम्बद्ध व्यक्ति/संस्थाएँ URI के कार्यों एवं गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा करती हैं पर सदस्यता की जिम्मेदारियां और अधिकार नहीं पाना चाहतीं। ऐसे सम्बद्ध लोगों/संस्थाओं को URI की गतिविधियों और संचालन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, शुल्क देने के लिए कहा जाए। सम्बद्ध होने के इच्छुक लोग/संस्थाएँ सार्वभौमिक परिषद् या URI केन्द्र को प्रार्थना-पत्र भेजें।

### **सार्वभौमिक परिषद्**

सार्वभौमिक परिषद् (G.C.) का उद्देश्य, प्रस्तावना उद्देश्य और सिद्धान्तों के अवलोकन एवं मूल्यों को सत्यापित करना है। सार्वभौमिक परिषद् का केन्द्रीय भाव, नियन्त्रण मात्र नहीं अपितु समस्त URI समाज की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान से सुनना है। सार्वभौमिक परिषद् URI के विश्वव्याप्त समाज के सार्वभौमिक कार्य-कलाप को प्रेरित और अनुमोदित करेगी। उनका विचार विमर्श, सौम्यता से, भूमंडलीय समाज से सन्तुलित किया जाएगा। यह मत है कि उनके कार्य, URI के लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ताकि वे लोग शान्ति, न्याय, और संसार की समस्याओं के समाधान के लिए, सकारात्मक शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

### **सार्वभौमिक परिषद् (ट्रस्ट) के सदस्य**

ट्रस्टी (न्यासी) परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है कि ये सदस्य URI संसार-सदस्यता के विश्वास का निर्वाह करते हैं। URI के न्यासी, प्रस्तावना उद्देश्य और सिद्धान्तों के अवलोकन एवं मूल्यों की अभिव्यक्ति करते हैं जो अपने कार्यों से आदर्श प्रशासन और सेवा को स्थापित करेंगे। वे URI समाज के प्रति गहरी निष्ठा रखेंगे।

### **सार्वभौमिक परिषद् का संयोजन**

- अधिक से अधिक 24 ट्रस्टी, आठ क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया द्वारा, विश्व सदस्यता द्वारा चुने जाएंगे। सार्व-भौमिक परिषद् द्वारा अधिक से अधिक चुने गए 12 सदस्य, विविधता और विशिष्ट गुणवत्ता की आवश्यकता को पूरा करें।

- अधिक से अधिक 3 ट्रस्टी, परिवर्तन सलाहकार-समिति के सदस्यों में नियुक्त, वर्तमान URI बोर्ड के निदेशक होंगे। परिवर्तन सलाहकार समिति जून 2005 तक गतिशीलता एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बनी रहेगी।
- एक ट्रस्ट, संस्थापना का उत्तरदायी होगा। URI संस्थापक की असाधारण नियुक्ति के आदर हेतु।
- URI के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रस्टी, कार्यकारी बना रहेगा।

## ट्रस्ट-सदस्यों के लिए चयनप्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि-सार्वभौमिक परिषद् में विविध भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के लोग हैं, 24 सीटों को चुनाव-प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रीय URI केन्द्र, तक निम्नलिखित 8 क्षेत्रों में तीन ट्रस्टियों को चुन सकते हैं। ये क्षेत्र हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरीबीन, मिडिल ईस्ट, नार्थ अमेरिका, और पैसेफिक, बहु-क्षेत्रीय URI केन्द्रों के लिए, आठवां क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र नहीं हैं। अनुकूल परिस्थिति/विविधता को सुनिश्चित करने के लिए और सार्वभौमिक परिषद् में विशिष्ट गुणवत्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 12 सीटें, परिषद की नियुक्तियों से भरी जाएंगी। विश्व परिषद् में सेवाएं देने के लिए हर दो वर्ष में, ट्रस्टियों का चयन होता है।

प्रतिबिम्ब, ध्यान और प्रार्थना के आदर्श, जो प्रशासनिक विशिष्टताओं के ज्ञान को गहराते हैं, जो सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मिलित करते हैं, वही, हर प्रशासनिक चयन प्रक्रिया को प्रोत्साहित में अहम् भूमिका निभाते हैं।

## सार्वभौमिक सभा

URI के सदस्यों की सार्वभौमिक समिति हर दो वर्ष में सार्वभौमिक परिषद द्वारा नियुक्त स्थान पर सुनियोजित की जाती है। सार्वभौमिक सभा एक गुंजायमान जनसमुदाय होगा जहां लोग अपने जीवन का, प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों में अनुभव करते हुए, सार्वभौमिक समाज का अनुभव प्राप्त करते हैं।

सार्वभौमिक सभा, प्रत्येक की क्षमता को उजागर करेगी, जिससे वे अपने स्वन्दों, प्रयासों और मिलकर किए गए कार्यों को, संसार की सेवा के परिप्रेक्ष्य में जारी रखें। वे पारस्परिक आशाओं और आकांक्षाओं को स्वर दें। सार्वभौमिक सभा, शक्ति के आहान और अभूतपूर्व सहयोग में सहायक होगी। यह URI के समस्तरूप को उजागर करके, ऐसे अवसर प्रदान करेगी जिससे आतिथ्य का आदान-प्रदान, कार्य में प्रत्येक के साथ सहभागिता और सहायता होगी।

## कार्य के लिए दिशानिर्देश

सदस्यों को 'जो वे चाहते हैं करें' इस तरह की स्वायत्तता देने वाला, आवश्यकरूप से स्वयं संगठित स्वभाव वाला 'सार्वभौमिक धर्म उपक्रम', कार्य के लिए, दिशानिर्देश की रूपरेखा, URI की गतिविधियों के लिए प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध उक्ति 'Memayu Hayuning Bawano' जिसका अर्थ है-'समस्त जीवन की सुरक्षा, प्रसन्नता और कल्याण के लिए कार्य करना' से प्रेरित। URI, निम्नलिखित क्षेत्रों में, प्रत्येक के लिए, कार्य के साधन, और मनन चिन्तन के लिए नैतिक स्वर देने का कार्य करेगी।

## **विश्वास-परम्पराओं के ज्ञान और परम्पराओं में सहभागिता**

संसार की आध्यात्मिक परम्पराओं, विविध धर्मों में बातचीत और सम्बन्ध को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना।

## **शान्ति और चिकित्सा/समाधान की संस्कृति का पोषण**

ऐसी संस्कृति का विकास करने के लिए कार्य करना जिसमें सब लोग, हिंसा के भय से मुक्त होकर रह सकें।

## **अधिकार और उत्तरदायित्व**

वे कार्य जो मानव-अधिकारों का समर्थन करें।

**परिस्थितिजन्य परिषेक्ष्य-** ऐसे कार्य जो समस्त भूमंडल-समाज का हित एवं समाधान करें।

## **आर्थिक समानता**

धनी और निर्धन के गहरे अन्तर में आध्यात्मिक पुट लाने का कार्य।

## **समग्ररूप से संयुक्त धर्म उपक्रम का समर्थन**

स्थानीय क्षेत्रीय और सार्वभौमिक कार्य जो URI की गतिविधियों का समर्थन करें।

## **संयुक्त धर्म उपक्रम की पारस्परिक परिकल्पना**

## **बहुविधि सहयोग केन्द्र**

बहुविधि सहयोग केन्द्र (MCC) संयुक्त धर्म उपक्रम में निर्मित समुदाय हैं। जब ३ या अधिक आपस में सम्मिलित होना चाहते हैं ताकि वे अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें और टिकने वाले, स्थिर, समकक्ष ढांचे का सृजन कर सकें।

## **बहुआयामी बहुविधि सहयोग केन्द्र**

बहुआयामी बहुविधि सहयोग केन्द्र (MMCC's) बनाए जाते हैं जब दो या अधिक बहुविधि सहयोग केन्द्र, अधिक स्थायी ढांचे के निर्माण के लिए अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आपस में सम्मिलित होना चाहें।

## **सहयोग केन्द्र (CC's)**

ये केन्द्र संयुक्त धर्म उपक्रम की मौलिक इकाइयां हैं। व्यक्ति, समितियां और संगठन जो URI की सदस्यता चाहते हैं, सहयोग केन्द्रों का निर्माण करेंगे (या वर्तमान केन्द्रों में सम्मिलित होंगे।) और सदस्यता के अधिकारों और जिम्मेदारियों का वहन करेंगे।

## **सार्वभौमिक परिषद्**

संयुक्त धर्म उपक्रम की सदस्यता द्वारा चुने गए ट्रस्ट सदस्यों (न्यासियों) से बनी है। G.C. के ट्रस्टी URI के मौलिक मूल्यों के आदर्श हैं जो, URI विश्वभर के समाज की आशाओं और आकांक्षाओं में ध्यान देते हैं और URI की अभिरुचियों के अनुसार कार्यरत हैं।

संयुक्त धर्म उपक्रम की प्रस्तावना, उद्देश्य और सिद्धान्तों का मूल्यांकन और समर्थन करने वाले सम्बद्ध सभी व्यक्ति, संगठन और समितियाँ URI की गोष्ठियों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित हैं, जो इन केन्द्रों के अधिकारों और आकांक्षाओं के इच्छुक नहीं हैं।